



CIN: L74110DL2007PLC396238

+91-80762 00456

www.integraessentia.com
cs@integraessentia.com

Unit No. 607, 6th Floor, Pearls Best Height-II,
Netaji Subhash Place, New Delhi-110034, IN

26th November, 2025

To,

Listing Compliance Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001
Scrip Code – 535958

Listing Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited
'Exchange Plaza' Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400051
Symbol- ESSENTIA

Sub: Newspaper Advertisement for Notice of hearing of Company Petition pursuant to order dated 16th October, 2025 by Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench ("NCLT") in the Matter of the Scheme of Arrangement for Amalgamation between G G Engineering Limited (Transferor Company) and Integra Essentia Limited (Transferee Company) and with their respective Shareholders and Creditors

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of the newspaper advertisement published on 26th November 2025, with respect to the Notice of hearing of the Company Petition before the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench ("NCLT"), pursuant to the above mentioned NCLT Order dated 16th October 2025 in the matter of Scheme of Arrangement for Amalgamation between G G Engineering Limited (Transferor Company) and Integra Essentia Limited (Transferee Company) under section 230-232 of Companies Act, 2013, in the following Newspapers:

- (i) "Indian Express" (English) Delhi edition; and
- (ii) "Jansatta" (Hindi) Delhi edition.

The above advertisements are also available on the website of the Company viz. <https://www.integraessentia.com/investor-relations/scheme-of-arrangement/>

We request you to kindly take the above on record.

Yours faithfully,

for & on behalf of
Integra Essentia Limited

Pankaj Kumar Sharma
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: Newspaper Advertisement

परिशिष्ट IV-A
अचल संपत्तियों की बिब्री के लिए बिब्री सूचना
सिखपुरिटी इंटरस्ट (एफकोसिमेंट) क्लस्टर, 2002 के नियम 8(6) के नियमों को पकते हुए सिखपुरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्सियल एसेट्स एंड एफकोसिमेंट ऑफ सिखपुरिटी इंटरस्ट एक्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्ति की बिब्री के लिए ई-नीलामी बिब्री सूचना।
सामान्य रूप से जन्ता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ऑ) तथा गैरपट्ट (ओ) को सुरक्षित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास मिलेी है, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियायुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) [CIN : L65922DL2005PLC136029] ("सुरक्षित लेनदार द्वारा") द्वारा वारंताविक कब्जा लिया जा चुका है, 29.12.2025 को शाम 05.00 बजे से 06.00 बजे तक "जहाँ है", "जैसा है" और "जो कुछ भी है", की वसूली के लिए ऋण खाता नं. **MHLNU00415885** के लिए रु. **51,70,887/-** (रुपए इक्यावन लाख सत्तर हजार आठ सौ सतासी मात्र) के लिए **19.11.2025** तक बकाया मूल्यन, बकाया (सिल्वे शुल्क के समेत) और ध्याज ऋण सम्पत्तों तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागू प्राची ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ **20.11.2025** से प्रभावी जो शिव दास, किष्ण देवी और आई-लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कंपनी (प्रोपराइटर शिव दास के माध्यम से) पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाया है की वसूली के लिए बेचा जाएगा । अचल संपत्ति की बिब्री आरंभिक मूल्य रु. **32,10,000/-** (रुपए बत्तीस लाख दस हजार मात्र) होगा और अर्नेस्ट मनी डिमांड ("ईएमडी") रु. **3,21,000/-** (रुपए तीन लाख इक्कीस हजार मात्र) यानि आरंभिक मूल्य के 10% के बराबर होगा ।

अचल संपत्तियों का वर्णन
प्लॉट नंबर एस-2, दूसरी मंजिल, छत के अधिकारों के साथ, सामने बाई तरफ, प्लॉट नंबर-88, सेक्टर-11 बी, वैशाली, गाजियाबाद-201010, उत्तर प्रदेश।

बिब्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.sammamcapital.com देखें; संपर्क का नंबर : 0124-6910910, +91 7065451024, ई-मेल आईडी : auctionhelp@sammmamcapital.com। मोली लगाने के लिए www.auctionbazaar.com पर लॉग ऑन करें।

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 20.11.2025
स्थान : गाजियाबाद

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उद्यम A Government of India Undertaking
खुर्जी शाखा, पता: भूपिण कोर्ट के सामने, तहसील रोड, खुर्जी उ.प्र. - 203131 संपर्क नंबर: 9372138850
मेल आईडी ubinfo538558@unionbankofindia.bank
धारा 13(2) के तहत मांग सूचना
संदर्भ: सरफेसिवा: Sarfaesi/385506650000046 दिनांक: 24.11.2025
स्थान: खुर्जी

सेवा में
1. **श्रीमती फरहा जीशान पत्नी अब्दुल जीशान**, पता: 5, पावर हाउस नंबर 2 के पास सलामहकान खुर्जी जिला बुलंदशहर पिन 203131
2. **गारंटर**
श्री अब्दुल जीशान पुत्र नासिर अहमद, पता: 5, पावर हाउस नंबर 2 के पास सलामहकान खुर्जी जिला बुलंदशहर पिन-203131

निवेद्य अहोवया,
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) सहप्रतिष्ठ धारा 13(3) के अंतर्गत सूचना।
आप, यहाँ संबोधित ऋणक (1, ने हमारा) खुर्जी शाखा से निम्नलिखित ऋण सुविधाएँ प्राप्त की हैं और बकाया/किस्त/व्याज का भुगतान/खातों का संवर्धन सौतोत्पन्नक र्ण से करने में विफल रहे हैं और इसलिए, आप पहचान और विवेक्षण लेखा मन्दनदों के संबंध में आवसीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके खाते/खातों की 21.11.2025 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 21.11.2025 तक आपके खाते/खातों में रु. 29,51,359.40/- (रुपये उन्तीस लाख इक्यावन हजार तीन सौ उनवत्तर और चालीस पैसे मात्र) की राशि बकाया है।

उपरोक्त खाते/खातों के संबंध में आप में से नंबर 1 से बैंक को देय राशि का विवरण निम्नानुसार है:

सुविधा का प्रकार	एनपीए की तिथि जर्नाल 21.11.2036 तक बकाया	21.08.2025 से 21.11.2025 तक अग्रदुलत व्याज	दण्डात्मक व्याज (साधारण)	बैंक द्वारा कुल सार्व/प्रभार	कुल बकाया
सार्वधि ऋण	29,51,359.40 /-	71,249.00	0	0	30,22,608.40
कुल बकाया	29,51,359.40 /-	71,249.00	0	0	30,22,608.40

बैंक को देय धनराशि या देय होने वाली धनराशि की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए, श्रीमती फरहा जीशान पत्नी अब्दुल जीशान प्रकाश ने 16.07.2022 को दस्तावेज निष्पादित किए और निम्नलिखित के माध्यम से प्रतिभूति हित सुचित किया:

नीचे वर्णित अचल संपत्ति का बंधक:-

एक आवसीय घर का इन्क्वेटेबल बंधक, इबल रैली, मकान नंबर 619, एरिया \$4.37 वर्ग मीटर, मोहल्ला खवेयसजान खुर्जी कस्बा खुर्जी परगना और तहसील खुर्जी खुर्जी जिला बुलंदशहर। विक्रय विवेक के अनुसार घर को बिक्री इस तरह है: पूर्व- रास्ता गली 6 फीट चौड़ी 52'9", पश्चिम- घर चंद्रपाल प्रजापति 52'9", उत्तर- घर विजय सिंह 11'1", दक्षिण- आम रास्ता 12 फीट चौड़ा 11; 1"

नीचे वर्णित चल सम्पत्ति का दृष्टिबंधक
अग्रोपेय
अतः आपसे वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अनुसार, आपके द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार संचिदात्मक दर पर अतिरिक्त व्याज और शुल्कों सहित रु. 29,04,800.631 (रुपये बीस लाख चालीस हजार आठ सौ रु. और इक्कीस पैसे मात्र) की राशि का भुगतान करने और इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी देवतावियों को पूर्ण रूप से भुगतान करने का अनुरोध किया जाता है। जिसमें विफल होने पर, हम ऋण अधिनियम के तहत दिए गए कानूनी या सभ्य अधिकारों का प्रयोग करके उपरोक्त प्रतिभूतियों को मजबूत करने के लिए बाध्य होंगे। अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, इस सूचना को प्राप्ति पर आपको बैंक की सहायति के बिना उपरोक्त प्रतिभूतियों का निपटारा या लेन-देन करने से रोक/निषिद्ध किया जाता है। आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
भवदीय,
प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
.....भारत से का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
...the name you can BANK upon!

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिब्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिब्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर “जहाँ है वहाँ है”, “जो है वही है” तथा “जो कुछ भी है वही है” आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

लॉट सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार/जमानतियों का नाम तथा पता खाता
1.	सैम शाखा, दिल्ली मैसर्स श्री बदी केदार पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड श्री अरविन्द कुमार, पता: 03, बदी नाथ मार्ग, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार उत्तराखंड 246149 श्री अशोक कुमार अग्रवाल, पता: 03, बदी नाथ मार्ग, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार उत्तराखंड 246149 श्री सुमित आग्रवाल, पता: 03, बदी नाथ मार्ग, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार उत्तराखंड 246149 श्री दिनेश कुमार गोयल, पता: 03, बदी नाथ मार्ग, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार उत्तराखंड 246149 श्रीमती अरुणा अग्रवाल, पता: 03, बदी नाथ मार्ग, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार उत्तराखंड 246149 श्रीमती उमा अग्रवाल, पता: 03, बदी नाथ मार्ग, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार उत्तराखंड 246149

ई-नीलामी बिब्री की नियम एवं शर्तें : बिब्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :
(1) सम्पत्तियों की बिब्री “जहाँ है जैसे है”, “जो है वही है” तथा “जो कुछ भी है वही है” आधार पर की जा रही है। (2) यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (3) प्रतिभूत परिसंपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। पहली बोली आरक्षित मूल्य से किसी भी अधिक राशि पर आरंभ होनी चाहिए। (4) अयोधस्ताक्षरी द्वारा बिब्री वेबसाइट <https://Baanknet.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊपर निर्दिष्ट नीलामी तिथि और समय पर की जाएगी। (5) अधिक जानकारी और बिब्री की नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया <https://Baanknet.com> और www.pnbindia.in देखें।

दिनांक : 20.11.2025
स्थान : दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
.....भारत से का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
...the name you can BANK upon!

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिब्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिब्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के वकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर “जहाँ है वहाँ है”, “जो है वही है” तथा “जो कुछ भी है वही है” आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

लॉट सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार/जमानतियों का नाम तथा पता खाता
1.	सैम शाखा दिल्ली मैसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय – एस-1 और एस-15, औद्योगिक क्षेत्र बुलंदशहर रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201002.श्री अरुण कुमार सोम (निदेशक और गारंटर) मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पता: तीसरा, एच-145, नेहरू नगर, गाजियाबाद- 201001. श्री प्रेम सिंह (निदेशक) मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पता: मकान नं. 439, नंगल वाला उर्फ बलका, औरंगाबाद बुलंदशहर- 245409 (पूबी) दीपिका कुमारी (निदेशक) मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पता: बड़ा तेरपा, छारा, सारंग विहार-840301 नवनीत कौर (निदेशक) मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पता: 2386, चिपियाड़ा, जामा मस्जिद, दिल्ली- 110006 रुई डीवी- 107 ए, डीडीए प्लैटफ़ैड, हरि नगर, दक्षिण पश्चिम दिल्ली- 110064 श्रीमती ज्योति (निदेशक) मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पता: बी-118/1, अंधेड़कर गेट के पास, जगतपुरी, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली- 110051 लविका सोम (निदेशक एवं गारंटर) मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पता: तीसरा, एच-145, नेहरू नगर, गाजियाबाद- 201001

ई-नीलामी की तिथि/समय : 30.12.2025, 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.

ई-नीलामी बिब्री की नियम एवं शर्तें : बिब्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :
(1) सम्पत्तियों की बिब्री “जहाँ है जैसे है”, “जो है वही है” तथा “जो कुछ भी है वही है” आधार पर की जा रही है। (2) यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (3) प्रतिभूत परिसंपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। पहली बोली आरक्षित मूल्य से किसी भी अधिक राशि पर आरंभ होनी चाहिए। (4) अयोधस्ताक्षरी द्वारा बिब्री वेबसाइट <https://Baanknet.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊपर निर्दिष्ट नीलामी तिथि और समय पर की जाएगी। (5) अधिक जानकारी और बिब्री की नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया <https://Baanknet.com> और <http://pnbank.in> देखें।

दिनांक : 24.11.2025
स्थान : दिल्ली

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण
नई दिल्ली पीठ के समक्ष, नई दिल्ली
कंपनी याचिका (CAA) संख्या 81/ND/2025
संबद्ध
कंपनी आवेदन (CAA) संख्या 20/ND/2025
माामता संबंधित: कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 230 - 232 तथा कंपनियाँ (समझौते, व्यवस्थाएँ और वित्तों) नियम, 2016 के नियम 16 के अंतर्गत और
साप्रता संबंधित:
बी जी इन्जीनियरिंग लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय: अफिस नंबर 203, द्वितीय तल, चिन्मय फ्लैट्स को-ऑप रोसाइट लिमिटेड, एस बी रोड, गुरुग्राम रोड, सहारा नगरमैके के पास, नुहई, महाराष्ट्र - 401004
...[हस्ताक्षरक कंपनी / गैर-याचिकाकर्ता कंपनी]
और
इटीशा एसोसिया लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय: 607, छठा तल, एमई सेंटर हाइट-4, ताराजी नगराज रोड, सीए इक्वैक, नई दिल्ली, दिल्ली - 110034
...[हस्ताक्षरक कंपनी / याचिकाकर्ता कंपनी]
याचिका की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत, बी जी इन्जीनियरिंग लिमिटेड (हस्ताक्षरक कंपनी/गैर-याचिकाकर्ता कंपनी) और इटीशा एसोसिया लिमिटेड (हस्ताक्षरक कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी) तथा उनके संबंधित सदस्यों और कचरादाओं के बीच पंजीकृत (विषय की व्यवस्था योजना) को अनुमोदित करने हेतु उद्देश्य याचिका, याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा 16 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत की गई थी। एक याचिका पर सुनवाई हेतु दिनांक 11 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित न्यायिक राश्री कंपनी विधि न्यायाधिकरण की पीठ के समक्ष तिथि निर्धारित की गई है। कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त याचिका का समर्थन या विरोध करना चाहता है, उसे अपना अभिप्राय पर तिथि पर यहां अगला उसके अधिकांश के हस्ताक्षर हो तब न्याय और धारा दिया गया हो। याचिकाकर्ता के अधिकांश को सुनवाई की तिथि से कम से कम दो (2) दिन पूर्व भेजना होगा। यदि कोई व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहता है, तो उसे विरोध के अन्वय या उसके हस्तक्षेपों की प्रति उक्त सूचना के साथ प्रस्तुत करनी होगी। याचिका की नई तिथि भी दायक विधि को निश्चित सुनवाई जमा करने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

कृते इटीशा एसोसिया लिमिटेड
दिनांक: 25.11.2025
स्थान: नई दिल्ली
हस्ता/-
पंकज कुमार शर्मा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) the name you can BANK upon!					
शाखा: पपरावत, नई दिल्ली (308100) ईमेल आईडी: bo3081@pnb.co.in					
कच्चा सूचना					
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2022 की धारा 13(4) के तहत) (अचल सम्पत्ति हेतु) नैसा कि अयोधस्ताक्षरी ने, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (आगे 'कथित अधिनियम' संदर्भित) के तहत 'पंजाब नेशनल बैंक, शाखा: पपरावत, नई दिल्ली (308100) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदारों (1) श्री पणू कुमार सिंह पुत्र भगवान सिंह (कर्जदार) (2) श्रीमती सुनीता सिंघ पत्नी पणू कुमार दोनों निवासी प्लैट सं. 102, प्रथम तल (पीछे की ओर), प्लॉट सं. आरजेड-एफ-346, खसरा सं. 51/19/3, गुरु नानक मार्ग, गांव पालम, राज नगर-11, नई दिल्ली-110045 साथ ही-वीपीओ चोरीली, पीएस भगवानपुर, जिला सिवाल, बिहार-841406 को 06.09.2025 को मांग सूचना जारी की जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है: -					
क्र.सं.	सूचिका की प्रकृति	एनपीए की तिथि 29.07.2025 तक व्याज सहित बकाया राशि	दण्डात्मक व्याज (साधारण)	बैंक द्वारा कृत ध्यय	ज्ञापन बकाया/06/08/2025 तक कुल बकाया (एनपीए तिथि के बाद डेबिट और क्रेडिट सहित)
1	सार्वधि ऋण	₹. 14,14,751.26/-	₹. 0.00/-	₹. 1442/-	₹. 0.00/-
	कुल राशि	₹. 14,14,751.26/-	₹. 0.00/-	₹. 1442/-	₹. 14,08,588.22/-
नोटिस में उल्लिखित राशि दिनांक 06.08.2025 तक रु. 14,08,588.22 (रुपये चौदह लाख आठ हजार पांच सौ अठ्ठसी और बाईस पैसे मात्र) तथा अनुबंधित दर, आकारमिक व्यय, लागत, शुल्क आदि पर अतिरिक्त व्यय के साथ, इस नोटिस की तारीख / नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर पूर्ण भुगतान तक चुकाने को कहा। कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए कर्जदार और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने वर्ष 2025 के 21 नवंबर को प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा से निष्का है। विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता और सामान्य रूप से जन्ता को अग्राह किया जाता है कि ये हाथ उल्लिखित संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और उक्त संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन प्रत्यक्ष नेशनल बैंक, शाखा पपरावत, नई दिल्ली (308100) के प्रभार के अधीन होगा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: -					
क्र.सं.	सूचिका की प्रकृति	एनपीए की तिथि 29.07.2025 तक व्याज सहित बकाया राशि	दण्डात्मक व्याज (साधारण)	बैंक द्वारा कृत ध्यय	ज्ञापन बकाया/06/08/2025 तक कुल बकाया (एनपीए तिथि के बाद डेबिट और क्रेडिट सहित)
1	सार्वधि ऋण	₹. 14,14,751.26/-	₹. 0.00/-	₹. 1442/-	₹. 0.00/-
	कुल राशि	₹. 14,14,751.26/-	₹. 0.00/-	₹. 1442/-	₹. 14,08,588.22/-
देय एवं बकाया राशि रु. दिनांक 06.08.2025 तक रुपये 14,08,588.22 (रुपये चौदह लाख आठ हजार पांच सौ अठ्ठसी और बाईस पैसे मात्र) अनुबंध दर पर व्याज, आकारमिक व्यय, शुल्क, लागत आदि के लिए। प्रतिभूत संपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार, गारंटर, बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।					
प्लॉट नंबर आरजेड-एफ-346, केएच नंबर 51/19/3, गुरु नानक मार्ग, ग्राम पालम कॉलोनी पर बने प्लैट नंबर 102, पहली मंजिल (पिछली तरफ) का इन्क्वेटेबल बंधक, जिसका रॉलब एरिया 62.5 50 गज या 562.5 वर्ग मीटर है, कवर एरिया 506.25 वर्ग फीट और कारपेट एरिया 455.62 वर्ग फीट है, राज नगर-द्वितीय, नई दिल्ली-110045, श्री पणू कुमार सिंह पुत्र भगवान सिंह और श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी पणू कुमार निहित वीएलएच/सेल वीड संख्या 9180 पुस्तक 1, खंड संख्या 8412 पृष्ठ 142 से 147 पर 22/08/2015 को पंजीकृत है और जो निम्नानुसार सीमाबद्ध है: पूर्व- प्लॉट नंबर आरजेड-एफ-345, पश्चिम- प्लॉट नंबर आरजेड-एफ-347, उत्तर- सड़क 20 चौड़ी, दक्षिण- गली 10 चौड़ी तिथि : 21.11.2025, स्थान : नई दिल्ली					
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक					

एसएमबी, दिल्ली, चौथी मंजिल, 7 भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली-110066 ई-मेल: zs8343@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की बिब्री हेतु सूचना

लॉट सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार/जमानतियों का नाम तथा पता खाता
1.	सैम शाखा, दिल्ली मैसर्स श्री बदी केदार पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड श्री अरविन्द कुमार, पता: 03, बदी नाथ मार्ग, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार उत्तराखंड 246149 श्री अशोक कुमार अग्रवाल, पता: 03, बदी नाथ मार्ग, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार उत्तराखंड 246149 श्री सुमित आग्रवाल, पता: 03, बदी नाथ मार्ग, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार उत्तराखंड 246149 श्री दिनेश कुमार गोयल, पता: 03, बदी नाथ मार्ग, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार उत्तराखंड 246149 श्रीमती अरुणा अग्रवाल, पता: 03, बदी नाथ मार्ग, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार उत्तराखंड 246149 श्रीमती उमा अग्रवाल, पता: 03, बदी नाथ मार्ग, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार उत्तराखंड 246149

ई-नीलामी बिब्री की नियम एवं शर्तें : बिब्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :
(1) सम्पत्तियों की बिब्री “जहाँ है जैसे है”, “जो है वही है” तथा “जो कुछ भी है वही है” आधार पर की जा रही है। (2) यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (3) प्रतिभूत परिसंपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। पहली बोली आरक्षित मूल्य से किसी भी अधिक राशि पर आरंभ होनी चाहिए। (4) अयोधस्ताक्षरी द्वारा बिब्री वेबसाइट <https://Baanknet.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊपर निर्दिष्ट नीलामी तिथि और समय पर की जाएगी। (5) अधिक जानकारी और बिब्री की नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया <https://Baanknet.com> और www.pnbindia.in देखें।

दिनांक : 20.11.2025
स्थान : दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
.....भारत से का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
...the name you can BANK upon!

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिब्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिब्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के वकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर “जहाँ है वहाँ है”, “जो है वही है” तथा “जो कुछ भी है वही है” आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

लॉट सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार/जमानतियों का नाम तथा पता खाता
1.	सैम शाखा दिल्ली मैसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय – एस-1 और एस-15, औद्योगिक क्षेत्र बुलंदशहर रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201002.श्री अरुण कुमार सोम (निदेशक और गारंटर) मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पता: तीसरा, एच-145, नेहरू नगर, गाजियाबाद- 201001. श्री प्रेम सिंह (निदेशक) मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पता: मकान नं. 439, नंगल वाला उर्फ बलका, औरंगाबाद बुलंदशहर- 245409 (पूबी) दीपिका कुमारी (निदेशक) मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पता: बड़ा तेरपा, छारा, सारंग विहार-840301 नवनीत कौर (निदेशक) मेसर्स एकेएस इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पता: 2386, चिपियाड़ा, जामा मस्जिद, दिल्ली- 110006 रुई